न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –22/2020 (Bank Case)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिसका क्षेत्रीय कार्यालय एम.बी.एस. हॉस्पीटल के सामने, सिविल लाईन्स, कोटा में स्थित है जिसका एक शाखा कार्यालय– विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री बाबू लाल पुत्र श्री मूलचंद गुर्जर (ऋणी/बंधककर्ता)
   पता– 293, देवनारायण मंदिर का चौक, गोबरिया बावडी, अनंतपुरा कोटा, राजस्थान
2. श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री बाबू लाल गुर्जर (सहऋणी)
   पता– 293, देवनारायण मंदिर का चौक, गोबरिया बावडी, अनंतपुरा, कोटा, राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 19.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिसका क्षेत्रीय कार्यालय एम.बी.एस. हॉस्पीटल के सामने, सिविल लाईन्स, कोटा में स्थित है जिसका एक शाखा कार्यालय– विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.06.2016 एवं 19.02.2018 को क्रमशः रूपये 20,00,000/–(अक्षरेः रूपये बीस लाख मात्र) व रूपये 5,00,000/–(अक्षरेः रूपये पांच लाख मात्र) कुल रूपये 25,00,000/–(अक्षरेः रूपये पच्चीस लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री बाबू लाल पुत्र श्री मूल चंद गुर्जर की आवासीय संपत्ति जो सर्वे नं0 183, गोबरिया बातडी, कोटा, राजस्थान पर हैं। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 945 वर्ग फुट हैं एवं चतुर्थ सीमाऐं– उत्तर की ओर मदन का मकान, दक्षिण की ओर जगदीश का मकान, पूर्व की ओर प्रहलाद का मकान एवं पश्चिम की ओर रास्ता हैं, जिसका आवंटन पत्र कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के क्रमांक 382 दिनांक 23.4.2012 द्वारा जारी किया गया हैं,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 29.11.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे

Scanned by CamScanner

26,55,712/– (अक्षरे रूपये छब्बीस लाख पचपन हजार सात सौ बारह मात्र) बकाया रकम दिनांक 10.12.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.12.2019 को नोटिस स्वयं को तामील करवा दिये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.12.2019 को नोटिस स्वयं को तामील करवा दिये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.12.2019 को नोटिस स्वयं को तामील करवा दिये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री बाबू लाल पुत्र श्री मूल चंद गुर्जर की आवासीय संपत्ति जो सर्वे नं0 183, गोबरिया बावडी, कोटा, राजस्थान पर हैं। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 945 वर्ग फुट हैं एवं चतुर्थ सीमाऐं– उत्तर की ओर मदन का मकान, दक्षिण की ओर जगदीश का मकान, पूर्व की ओर प्रहलाद का मकान एवं पश्चिम की ओर रास्ता हैं, जिसका आवंटन पत्र कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के क्रमांक 382 दिनांक 23.4.2012 द्वारा जारी किया गया है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner